न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/308

1. घीसा पुत्र श्योबक्स (मृतक दौराने अपील)
   1/1 कल्लुराम पुत्र घीसा उर्फ घासीराम
   1/2 श्रवण लाल पुत्र घीसा उर्फ घासीराम
   1/3 शम्भू दयाल पुत्र घीसा उर्फ घासीराम
2. संगीता देवी पत्नी राजेश कुमार समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर प्रकरण संख्या 239/2017 उनवानी तहसीलदार बनाम छीतर व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री एन.के.यादव वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 22.12.2020 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी. सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 619, 619/959, 623, 630, 637 व 650 के संबंध में तहसीलदार आमेर की अभिशंसा के अनुसार उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित कर भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.05.2017 को दिये गये। जिसकी अपील होने पर न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश दिनांक 24.05.2017 को निरस्त कर रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिनांक 19.02.2019 को दिये गये। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा प्रकरण मे पुनः सुनवाई कर पूर्व के आदेश दिनांक 24.5.2017 की पालना में किये गये इन्द्राज की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिनांक 16.12.2019 को दिये गये तत्पश्चात् दिनांक 16.12.2019 के आदेश में संशोधन कर खसरा

संभागीय आयुक्त जयपुर

नम्बर 619/959 व 623 में से रास्ता नक्शा ट्रेस व जमाबंदी में से हटाने एवं शेष खसरा नं. 250, 251, 619, 630, 637 में यथावत रखने के संशोधित आदेश दिनांक 22.12.2020 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेर दिनांक 22.12.2020 अपीलांट्स के खसरा नम्बर 637 की हद तक निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 619, 619/959, 623, 630, 637 व 650 भूमि के संबंध में तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। खसरा नंम्बर 637 के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये एवं कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन पृथक से अंकन कर रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.05.2017 पारित किये गये। माननीय न्यायालय हाजाके समक्ष उनवानी छीतर बनाम सरकार प्रकरण नम्बर 403/2018 प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को दिनांक 19–02–2019 को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को इस दिशा निर्देश के साथ पत्रावली प्रतिप्रेषित किया कि सभी प्रभावित होने वाले पक्षकारान को फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाकर उनको साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त कर उनकी ओर से दस्तावेजी साक्ष्य सबूत ग्रहण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर आदेश दिनांक 16–12–2019 पारित किया कि पूर्ववर्ती इन्द्राजों को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है एवं किसी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता हो तो वह रास्ते के सम्बंध में कानूनी प्रावधान 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करने हेतू स्वतंत्र है। किन्तु पुनः अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ खातेदारान के द्वारा प्रार्थना पत्र 151 प्रस्तुत किये जाने पर अवैध अपीलाधीन संशोधित आदेश उनवानी सरकार बनाम छीतर में दिनांक 22–12–2020 को इस आशय का पारित किया गया कि खसरा नम्बर 619/959, 623 के सम्बंध में रास्ते का अंकन नक्शा ट्रेस व जमाबंदी से हटाया जावे तथा शेष पूर्ववती आदेश दिनांक 24–05–2017 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 250, 251, 619, 630 एवं 637 के बाबत पूर्ववर्ती आदेश बहाल रखने का अवैध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 637 के बाबत आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित न्यायिक क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये अपीलार्थीगण प्रभावित भू अभिलिखित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदार काश्तकार को बिना माननीय न्यायालय के प्रतिप्रेषित आदेश के बावजूद भी प्रकरण में अपीलान्टस् को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया, ना ही उपरोक्त खसरा नम्बरान् के संबंध में खातेदारों ने कोई सहमति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये हैं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी अवस्था में ऐसा आदेश कानूनन पारित नही किया जा सकता था इसलिये ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की तोहीन में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 132 भू राजस्व अधिनियम तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66, एंव 86 में वर्णित प्रावधानो तथा उन पर प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन साईक्लोस्टाईल निर्णय प्रथम पेशी पर ही पूर्णत विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये पारित किया है जो पूर्ण रूपेण विधिक प्रक्रिया का उपहास है। किसी भी न्यायालय को किसी भी भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार की कृषि आराजी को खुर्द बुर्द करने तथा रास्ता निकालने तथा अन्य कोई दुरूस्ती किसी तृतीय पक्षकार के निवेदन पर किये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का तथा ग्राम पंचायत की सिफारिस पर अपने अधीनस्थ तहसीलदार आमेर से बिना कोई रिपोर्ट तलब किये ही सीधे तौर पर ही अपीलार्थीगण की कृषि भूमि में अवैध रूप से रास्ता निकालने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है।राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर का संशोधित आदेश दिनांक 22.12.2020 अपीलांट्स की हद तक निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार आमेर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व सरपंच की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित. में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 08.02.2022 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट्स खसरा नंम्बर 637 के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं उन्हें बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार आमेर की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2019 खसरा नम्बर 619/959 एवं 623 के संबंध में है। हस्तगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आमेर से विवादित खसरा नं. 637 की मौका रिपोर्ट ली गई हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 637 के खातेदारान् वर्तमान अपीलार्थीगण को भी प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किए जाने में विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 239/2017 खसरा नम्बर 637 वाके ग्राम कोटडा की हद तक निरस्त किया जाता है।

(राधा गुप्ता)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।